

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/209/2019/एफ0 सी0/443 दिनांक 25/06/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।(FP/UK/ROAD/34380/2018)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2658 / FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक 17-06-2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27/04/2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत उत्तर में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27/04/2020 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 09 तथा 10 का जवाब अभी भी सही नहीं पाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि बिन्दु संख्या 09 तथा 10 जो कि निम्नानुसार है का अवलोकन करने का कष्ट करे तथा चाही गई जानकारी प्रस्तुत करें :-

1. State Government may clarify, if any approval under FCA has already been obtained for the construction of the jeep road already constructed (as mentioned in the justification).
2. In para-4 (i) of Part-II, eco-class is mentioned as eco-class-V but is likely to be eco-class-VI. State Govt. May upload the correct information in this regard.
3. In para-14 of Part-II, CA stipulated is not commensurate to forest land diverted. State Govt. may provide correct information at para-14 of online Part II in District Profile.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)